न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—464/2016/223 (2016/464)

1. रामपाल पुत्र गलजारीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि स्व रामपाल,
   1/2— राजू पुत्र रामपाल,
   1/3— मंजू उर्फ काना पुत्र पुत्री रामपाल,
   1/4— सोनू पुत्री रामपाल,
   1/5— मधुबाला पुत्री रामपाल,
   1/6— मोना पुत्री रामपाल,
   1/7— सरोज पुत्री रामपाल,
   1/8— शशिबाला पुत्री रामपाल,
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र कल्याण (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती कैलाशी देवी पत्नि राधेश्याम,
   1/2— पवन पुत्र राधेश्याम,
   1/3— त्रिलोक पुत्र राधेश्याम,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
   1/4— शिवकान्ता पुत्री राधेश्याम पत्नि गिरीराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दूदू, जिला जयपुर ।
   1/5— ममता पुत्री राधेश्याम पत्नि पीयूष, जाति ब्राहमण, निवासी रायला, जिला भीलवाड़ा ।
   1/6— मीना पुत्री राधेश्याम पत्नि मनीष शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड, नसीराबाद दिनांक 1.7.2016 अंतर्गत वाद संख्या 93/2011.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/6.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 27.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद के चौसाला खसरा नंबर 2682 रकबा 0–8–00 बीघा भूमि वादी के पिता के नाम व चौसाला खसरा नंबर 2682 रकबा 0–11–00 प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज था। चौसाला खसरा नंबर 2682 के वर्किंग खसरा नंबर 3090 रकबा 0–5–00 वादी के नाम दर्ज कर दिया गया व वर्किंग खसरा नंबर 3094 रकबा 0–14–00 प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी को चौसाला खसरा नंबर 2682 रकबा 0–8–00 के अनुसार खसरा नंबर 3090 व 3094 में से रकबा 0–8–00 का खातेदार दर्ज करना चाहिये था। एवं हाल खसरा नंबर 1492 का रकबा 0.11 है0 दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी पर वादी को 0.13 है0 की खातेदारी देनी थी। अतः वादी को रकबा 0.13 है0 का खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2016 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा ना ही साक्ष्य का विवेचन किया गया तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । प्रकरण में प्रतिवादी की खातेदारी भूमि चौसाला खसरा नंबर 2680 रकबा 0–6–00 व खसरा नंबर 2681 रकबा 0–6–10, खसरा नंबर 2682 रकबा 0–11–00 कुल भूमि में से वर्किंग खसरा नंबर 3094 रकबा 1–13–10 है तथा उपरोक्त भूमि को नियमानुसार वर्किंग जमाबंदी में अंकित कर वर्तमान आधार जमाबंदी में हाल खसरा नंबर 1493 रकबा 0.07 है0 एवं 1494 रकबा 0.07 है0, 1495 रकबा 0.12 है0 प्रतिवादी के नाम वर्षो से खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है । सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है । विवातिद आराजी से वादी/रेस्पो0 का कोई संबंध नहीं है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनाक 1.7.2016 की जानकारी अपीलांटस को अपने अधिवक्ता से दिनांक 28.9.2016 के संपर्क करने पर हुई तत्पश्चात् नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2026 में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पिता कल्याणमल के नाम खसरा नंबर

2682 रकबा 8 बिस्वा दर्ज है तथा प्रतिवादी/अपीलांट के नाम खसरा नंबर 2682 रकबा 11 बिस्वा दर्ज है लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 2682 का कुल रकबा 19 बिस्वा में से नये खसरा नंबर 3090 में रकबा मात्र 5 बिस्वा अकित करते हुए रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दिया तथा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के खाते की भूमि में से 3 बिस्वा भूमि की जाकर प्रतिवादी/अपीलांट के नाम नये खसरा नंबर 3094 रकबा 11 बिस्वा के बजाय 14 बिस्वा दर्ज कर दिया गया एवं उक्तानुसार ही वर्किंग जमाबंदी में खसरा नंबर 3094 का कुल रकबा अन्य खसरा नंबर से मिलना बताकर प्रतिवादी के नाम 1–13–10 बीघा अंकित कर दिया । इस प्रकार 3 बिस्वा अधिक भूमि अपीलांट के नाम वर्किंग खसरा नंबर 3094 में शामिल कर दी गई थी । बंदोबस्त विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन, बेचान के वादी/रेस्पो0 की भूमि का 3 बिस्वा रकबा कम कर अपीलांट की भूमि में शामिल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य के अनेक अवसर दिये गये किन्तु प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष साक्ष्य पेश नहीं किये गये । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

8. अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी राधेश्याम पुत्र कल्याणमल ने वाद पेश कर कथन किया कि चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2026 में वादी के पिता कल्याणमल के नाम खसरा नंबर 2682 रकबा 8 बिस्वा दर्ज है तथा प्रतिवादी रामपाल के नाम खसरा नंबर 2682 रकबा 11 बिस्वा खाते में दर्ज है लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा मिलान क्षैलफल अनुसार खसरा संख्या 2682 का कुल रकबा 19 बिस्वा जिसके वर्किंग खसरा नंबर 3090 में रकबा 5 बिस्वा अंकित करते हुए वादी के नाम दर्ज कर दिया तथा वादी के खाते की भूमि में से 3 बिस्वा भूमि कम कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नये खसरा नंबर 3094 रकबा 11 बिस्वा के बजाय 14 बिस्वा दर्ज कर दिया गया । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । चौसाला खसरा संख्या 2682 रकबा 19 बिस्वा जो कि चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के खाता संख्या 32 में खसरा नंबर 2682 रकबा 8 बिस्वा कल्याणमल वल्द धन्नालाल कौम ब्राहमण, सा0देह खातेदार दर्ज है एवं इसी प्रकार खसरा नंबर 2682 मिन रकबा 11 बिस्वा रामपाल नाबालिग बसरबराही मु0 छग्गू वालदा खुद बेवा गुलजारी लाल ब्राहमण सा0देह खातेदार दर्ज है । उक्त खसरा नंबर के मिलान क्षैत्रफल में वर्किंग खसरा नंबर 3090 रकबा 5 बिस्वा, 3094 रकबा 14 बिस्वा दर्ज किये गये थे जो कि जमाबंदी अनुसार खसरा नबर 3090 का रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 3094 का रकबा 11 बिस्वा होना चाहिये था किन्तु वर्किंग जमाबंदी में वादी के नाम खसरा नंबर 3090 में रकबा 8 बिस्वा के बजाय 5 बिस्वा दर्ज किया गया है जो मिलान क्षैत्रफल के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जमाबंदी में 3 बिस्वा रकबा कम दर्ज किया गया है तथा प्रतिवादी/अपीलांट का रकबा 11 बिस्वा के बजाय खसरा नंबर 3094 में 14 बिस्वा दर्ज कर दिया गया । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर 3 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य के अनेक अवसर प्रदान किये गये थे किन्तु अपीलांट द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये गये है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 27.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर